...देश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
7.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दिनांक 8.2.22 को पेश हो।	
8.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। बहस प्रा० पत्र श्रवण की गई। आवेदक वकील ने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा आवेदक का प्रा० पत्र स्वीकार कर अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। आवेदक विवादग्रस्त भूमि में 1/4 की बजाय 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावा की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। अनावेदकगण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में आवेदक के हिस्से को विक्रय करने व जबरन कब्जा करने पर आमदा है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे दावे का निर्णय होने तक ग्राम पोषाणा पटवार हल्का पोषाणा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 3.24 है. के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:19:04 IST
Reason: SelfAttested